

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज०

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 141/2025
जी०सी०एम०एस० संख्या : 2025/163

अनवान

1-4 अम्बाशंकर, परमेश्वर, मथरा, रामनाथ पिता सुगना गुजर निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- कैलाश पिता कल्याण गुजर निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- श्यामलाल पिता उदा गुजर निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- प्रेमी पत्नी महावीर गुजर निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- मिश्री पिता जगदीश चमार निवासी डाबला चांदा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- जोरावर पिता शंकर जैन निवासी काला भाटा मंदिर के पास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- जगदीश पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी कोठार मोहल्ला शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु : 19/08/2025

उपस्थित :-

श्री कमलेश कुमार मुण्डेतिया : अधिवक्ता प्रार्थीगण
विपक्षीगण एकपक्षीय

::- निर्णय -::

दिनांक : 15/10/2025

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण द्वारा पेश किया गया संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम डाबला चांदा प०ह० डाबला चांदा भू०अ०निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1900 है, 28 रकबा 0.6500 है, 33 रकबा 0.0400 है, 870 रकबा 0.0600 है, 871 रकबा 0.4900 है, 992 रकबा 0.1700 है, 993 रकबा 0.1600 है, 994 रकबा 0.4400 है कुल किता 8 रकबा 2.2000 है भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते हैं। प्रार्थीगण दिनांक 12.07.2025 को अपनी आराजियात देखने तो विपक्षीगण द्वारा स तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 12/07/2025 से पैदा होकर जारी है।
2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. प्रार्थीगण अधिकता की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम डाबला चांदा प०ह० डाबला चांदा भू०अ०निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1900 है, 28 रकबा 0.6500 है, 33 रकबा 0.0400 है, 870 रकबा 0.0600 है, 871 रकबा 0.4900 है, 992 रकबा 0.1700 है, 993 रकबा 0.1600 है, 994 रकबा 0.4400 है कुल किता 8 रकबा 2.2000 है भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगद्दी कराने हेतु आवेदन पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दरतावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जाकर विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया । जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम डाबला चांदा प0ह0 डाबला चांदा भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1900 है, 28 रकबा 0.6500 है0, 33 रकबा 0.0400 है0, 870 रकबा 0.0600 है0, 871 रकबा 0.4900 है0, 992 रकबा 0.1700 है0, 993 रकबा 0.1600 है0, 994 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 8 रकबा 2.2000 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1900 है, 28 रकबा 0.6500 है0, 33 रकबा 0.0400 है0, 870 रकबा 0.0600 है0, 871 रकबा 0.4900 है0, 992 रकबा 0.1700 है0, 993 रकबा 0.1600 है0, 994 रकबा 0.4400 है0 कुल किता 8 रकबा 2.2000 है0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम डाबला चांदा प0ह0 डाबला चांदा भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 0.1900 है, 28 रकबा 0.6500 है0, 33 रकबा 0.0400 है0, 870 रकबा 0.0600 है0, 871 रकबा 0.4900 है0, 992 रकबा 0.1700 है0, 993 रकबा 0.1600 है0, 994 रकबा 0.4400 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक आमली कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। दौरान कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढ़ी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढ़ी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हों। आदेश सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावे।

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा